1	2	3
24	U. K.	321.98
25	U. S. A.	68804
26	Russian Federation	2783.43
27	U.A.E.	20.84
28	Australia	9.40
	TOTAL (Bilateral)	52205.55
	TOTAL (Government Account)	127407.51

बकाया आयकर की वसूली

101. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार आयकर की कितनी राशि बकाया है, जिसकी वसूली होनी शेष है;

(ख) कितने व्यक्तियों की ओर से एक करोड़ रुपए या इससे भी अधिक की आयकर राशि बकाया है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल, 1994 को आयकर (निगम कर सहित) की वसूली योग्य बकाया मांग 6047 करोड़ रुपये थी। इस धनराशि में न्यायालयों, समझौता आयोग, न्यायाधिकरण द्वारा स्थगित मांगें और बकाया न हुई मांगें तथा भुगतान की गई परन्तु सत्यापन के लिये लंबित मांग शामिल नहीं हैं।

(ख) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार 934 ऐसे नाम थे, जिनके विरुद्ध एक करोड़ रुपये से अधिक की मांग बकाया थी। इन नामों की सूची देने से उत्तर काफी लम्बा हो जाएगा और इसको तैयार करने में जो समय और प्रयत्न निहित हैं, वे प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) बकाया मांग को कम करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और दूसरे उपाय किये जाते हैं। बड़े मामलों में डोशियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। मामलों का जल्दी निपटान करने के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली की कार्रवाई स्थगित की जाती है, वहां स्थगन रद्द करने के लिये उपाय किये जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में विभाग द्वारा सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, दण्ड लगाने आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।